Orissa, the following two pig iron plants are proposed to "be set up in Orissa:

S. No.	Name of the Unit	Location	Capacity	Project Cost
1.	M/s Mideast Integrated Steel Ltd.	Integrated Indl. Complex, Buburi.	0.50 MTPY pig iron (in 1st phase)	Rs. 310 Crs.
2.	M/s Neelachal Ispat Nigam Limited.	-do-	1.0 MTPY pig iron (in 1st Phase)	NA

स्थानीय विकास के लिए निधि का आवंटन

538. **श्री अजीत जोगी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है,

(ख) उसका विशेष योजनावार ब्यौरा क्या है,

(ग) उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(घ) चालू योजनाआवधि के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और पहेल तीन वर्षो के दौरान खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं जिन्हें केन्द्र द्वारा देश के सभी विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक स्वरोजगार गरीब परिवारों को ऋण प्रदान करके उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां प्राप्त कराके उन्हें अपनी आय को बढ़ाने और गरीबी की रेखा को पार करने के योग्य बनाना है ताकि उन्हें सतत आधार पर स्वरोजगार मिलता रहे। आय सृजित करने की गतिविधियां शुरू करने हेतु सबसिडी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। इस योजना के अतंर्गत, खर्च को केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। दूसरी तरफ, जवाहर रोजगार योजना एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार पैदा करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, कुल खर्च को केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के आधार पर वहन किया जाता है। गैर-कृषि मौसम के दौरान बेरोजगार वयस्कों के लिए सुनिश्चित रोजगार की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने देश के चयनित खण्डों में अक्टूबर 93 से सुनिश्चित रोजगार योजना को शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों जो गरीबी की रेखा से नीचे के हैं और जो काम की तलाश में हैं को सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, केन्द्र देश के सभी गांवों/वसावटों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए राज्यों को निधियां रिलीज करता है। राज्यों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत मैचिंग अनुदान भी दिया जाता है।

1995-96 के दौरान उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के कुल आंवटन को दर्शाने वाला एक विवरण विवरण – 1 पर दिया गया है (**नीचे देखिए**)

(घ) 1992-93 से 1994-95 के दौरान सूचित खर्च के साथ-साथ चालू योजना अवधि के लिए आवंटित की गई कुल राशि को दर्शाने वाला एक विवरण विवरण – 2 पर दिया गया है (नीचे देखिए)।

विवरण -1

1995-96 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अतंर्गत निधियों का आवंटन

क्र0 सं0	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आई.आर. डी.पी.	आबंटित राशि जे.आर.वाई.	ई0ए0एस0	ए0आर0 डब्ल्यू0 एस0
1.	आन्ध्र प्रदेश	8336.41	27623.75	9500.00	6027.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	623.43	258.01	1819.00	1092.00
3.	असम	2743.50	8273.61	4010.00	1845.00
4.	बिहार	16219.24	58748.97	7430.00	7099.00
5.	गोआ	141.87	278.77	0.00	170.00
6.	गुजरात	3059.22	10776.74	4320.00	3850.00
7.	हरियाणा	735.33	2216.15	1990.00	2312.00
8.	हिमाचल प्रदेश	239.78	885.81	450.00	1215.00
9.	जम्मू व कश्मीर	999.09	2141.00	3780.00	3362.00
10.	कर्नाटक	5594.91	18757.55	7750.00	5544.00
11.	केरल	2036.15	6139.55	1360.00	2819.00
12.	मध्य प्रदेश	10565.39	37922.86	14950.00	6673.00
13.	महाराष्ट्र	9087.73	31460.16	5620.00	8023.00
14.	मणिपुर	449.59	330.69	670.00	401.00
15.	मेघालय	477.57	386.94	0.00	430.00
16.	मिजोरम	201.82	163.01	1200.00	307.00
17.	नागालैंड	335.69	414.77	1040.00	422.00
18.	उड़ीसा	6763.85	23571.56	6810.00	3159.00
19.	पंजाब	521.53	1575.94	0.00	1006.00
20.	राजस्थान	4388.01	15048.21	8400.00	9739.00
21.	सिक्किम	55.95	151.01	220.00	372.00
22.	तमिलनाडु	7537.14	24606.63	4880.00	4779.00
23.	त्रिपुरा	641.42	429.52	1040.00	380.00
24.	उत्तर प्रदेश	20316.50	65439.74	6660.00	11182.00
25.	पश्चिम बंगाल	7472.20	25588.62	6080.00	4327.00
26.	अंडमान निकोबार	70.94	152.69	40.00	44.00
27.	दादर व न0ह0	14.99	82.88	30.00	25.00
28.	दमन व द्वीव	27.97	48.83	20.00	15.00
29.	लक्ष द्वीप	6.99	76.55	100.00	12.00
30.	पांडिचेरी	57.95	149.48	0.00	30.00
31.	दिल्ली	-	-	-	29.00
	कुल:	109721.16	363700.00	100169.09	86680.00

विवरण - 2

1992-93, 1993-94 **और** 1994-95 **के दौरान आवंटित राशि तथा हुआ खर्च**

कार्यक्रम	**आवंटित राशि तथा हुआ खर्च**					
	1992-93		1993-94		1994-95	
	आवंटन	**खर्च**	**आवंटन**	**खर्च**	**आवंटन**	**खर्च**
स0ग्रा0वि0का0	66222	69308	109343	95665	109822	99526
ज0रो0यो0	316905	270959	405942	387871	437692	426833
सु0रो0यो0	-	-	54877	18375	141025	12354
त्व0ग्रा0ज0आ0का0	39000	37758	40027	54396	68160	6745

निर्यात के लिए खनिजों की पहचान किया जाना

539. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (एफआईएमआई) द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन में निर्यात के लिए 26 खनिजों की पहचान की गई है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (एफआईएमआई) द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) जी, हां । भारतीय खनिज उद्योग संघ (फिमि) द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार 26 खनिजों अर्थात वैराइट्स, बाक्साइट, बैन्टोनाइट, फुलर्स अर्थ, क्रोमाइट, फैल्सपार, ग्रेफाइट, जिप्सम, इल्मेनाइट, रूटाइल, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंग्रेसाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट, टाले, डियास्पोर, फायरल्ले, काओलीन, पाइरोफाइलाइट, क्वार्टज, क्वार्टनाइट, सिलिकासैंड, वर्मीक्युलाइट और वोलास्टोनाइट की निर्यात संभावनाएं हैं ।

(ग) रिपोर्ट में खनिजों के निर्यात की तीव्र वृद्धि के बारे में अनेक सीमित कारकों का उल्लेख किया गया है जिनमें साथ-साथ पर्याप्त ढांचागत तथा रखरखाव संबंधी सुविधाओं आदि की कमी शामिल है । इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए फिमि ने समेकित प्रयास की सिफारिश की है ।

540. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की फसल बीमा योजना केवल तहसील को ही एक यूनिट मानते हुए कतिपय फसलों तक सीमित हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपबंध के कारण कई किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं, और

(ग) क्या सरकार का इस योजना के अतंर्गत गांव को एक यूनिट के रूप में मानने तथा सभी फसलों को इसमें शामिल करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब खान) : (क) से (ग) जी हां, बहुत फसल बीमा योजना एक ऋण संबंधी योजना है जिसके अंतर्गत शामिल की जाने वाली फसलें हैं:- धान, गेहूं, कदन्न, तिलहन और दलहन । बीमा के लिये कवर किये जाने वाला ईकाई क्षेत्र तहसील/मंडल/ब्लाक/ग्राम पंचायत या इसी प्रकार का कोई अन्य निकटस्थ क्षेत्र हो सकता है । अधिसूचित ईकाई क्षेत्रों के अतंर्गत फसल ऋण प्राप्त करने वाले सभी किसान इस योजना में कवर होते हैं । राज्य सरकार को कितने भी छोटे ईकाई क्षेत्र को इस योजना में शामिल करने की स्वंतत्रता हैं बशर्ते कि उनमें प्रत्येक में शामिल करने की स्वंतत्रता है बशर्ते कि उनमें प्रत्येक मौसम में प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में बीमित फसल में विनिर्दिष्ट फसल कटाई प्रयोग करने की क्षमता हो ।